राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक: प. 9(28) राज–6/17/116 जयपुर, दिनांकः 27.10.2021

1. समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।
2. समस्त उपखण्ड अधिकारी,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– इण्डियन टेलिग्राफ राईट ऑफ वे रूल्स के अन्तर्गत नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर इन्सटालेशन/लेईंग ऑफ टेलिग्राफ इन्फ्रास्ट्रेक्चर के संबंध में।

संदर्भः– नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10(147) नविआ/3/2008/पार्ट–III दिनांक 6.2.2017, संशोधन समसंख्यक आदेश दिनांक 9.2.2017 व आदेश दिनांक 1.8.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा Simplication of process for permission to be given to licensee for installation/laying of telegraph infrastructure in urban and rural areas के संबंध में सदर्भित आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के खण्ड 2(सी) में उपखण्ड अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त क्रम में इस विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(28) राज–6/17/14 दिनांक 6.11.2017 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश दिये जाते है कि नोडल अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्षेत्राधिकार के भीतर लाइसेंसधारियों को मोबाइल टावर स्थापित करने/दूरसंचार संरचना बिछाने हेतु आदेश दिनांक 6.2.2017 के प्रावधानों के तहत देय शुल्क राजस्व मण्डल द्वारा उनके पत्र क्रमांक प. 14/34/रामले/भू0रू0/16898–931 दिनांक 24.11.2017 द्वारा निर्धारित मद में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करवाते हुए नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करे। इस संबंध में अन्य आवश्यक कार्यवाही संदर्भित आदेश अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

27/10/2021
(रामचरण शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. संयुक्त शासन सचिव–1, नगरीय विकास विभाग।
2. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, जयपुर
3. निवंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. समस्त टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एवं आई.पी. प्रोवाइडर्स।

27/10/2021
शासन उप सचिव